पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-शासनादेश पृष्ठांकन-(100)/2024-25/ 3081 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 08 अक्टूबर, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को छोड़कर)।

विषय:- विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों की सुरक्षा की सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, गृह(पुलिस) अनुभाग-15, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-891/छ:-पु0-15/2024 दिनांक 30.08.2024(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ गृहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि उत्तर प्रदेश शासन, प्रत्येक महिला को विधिक समानता, उनकी गरिमा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा रात्रि में आने-जाने के मार्गों को सुरक्षित करना, प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, मजबूत सुरक्षा उपाय, नियमित सुरक्षा ऑडिट, विधिक जानकारी तथा महिला हेल्पलाइन और सहायता सेवाओं के ज्ञान के साथ-साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

2- उत्तर प्रदेश शासन की अपराध तथा अपराधियों के प्रति "ZERO TOLERANCE" नीति तथा उक्त के दृष्टिगत विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य संस्थानों में महिला उत्पीड़न व हिंसा रोकने हेतु गृह विभाग के पत्र संख्या-870/छ:-पु0-15/2024 दिनांक 22.08.2024(छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत एवं दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए सभी विभागों से यह अपेक्षा की गयी है कि विभाग के स्तर पर कार्यकारी आदेश/निर्देश निर्गत करते हुए अधीनस्थ फील्ड कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु ब्रीफिंग तथा नियमित समीक्षा की जाए।

अत: गृह(पुलिस) अनुभाग-15, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-891/छ:-पु0-15/2024 दिनांक 30.08.2024 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-विभागीय वेबसाइड पर।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को शासन के उक्त पत्र दिनांक-30.08.2024 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।
2- अपर आयुक्त(पुलिस), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4- समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

संलग्नक-विभागीय वेबसाइड पर।

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

1297/11-3-2024

6-20199(099)/200/2024-गृह (पुलिस) अनुभाग-9-home department 1/729355/2024

अतिमहत्त्वपूर्ण / फैक्स

संख्या- 891 / छः-पु0-15/2024

प्रेषक,

डॉ0 संजीव गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

168/PS/ST/2024 VS(SP)

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

गृह (पुलिस) अनुभाग- 15 लखनऊः दिनाँक- 30-08-2024

02.09.24
(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः- विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने विषयक।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, प्रत्येक महिला को विधिक समानता, उनकी गरिमा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है । कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा रात्रि में आने-जाने के मार्गों को सुरक्षित करना, प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, मजबूत सुरक्षा उपाय, नियमित सुरक्षा ऑडिट, विधिक जानकारी तथा महिला हेल्पलाइन और सहायता सेवाओं के ज्ञान के साथ-साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी आवश्यक है ।

2. उत्तर प्रदेश शासन की अपराध तथा अपराधियों के प्रति "ZERO TOLERANCE" नीति तथा उक्त के दृष्टिगत विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य संस्थानों में महिला उत्पीड़न व हिंसा रोकने हेतु गृह विभाग के पत्र संख्या- 870/छः-पु0-15/2024, दिनांक- 22.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत एवं दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए सभी विभागों से यह अपेक्षा की गयी है कि विभाग के स्तर पर कार्यकारी आदेश/निर्देश निर्गत करते हुए अधीनस्थ फील्ड कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु ब्रीफिंग तथा नियमित समीक्षा की जाए ।

3. कृपया अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में विभाग स्तर पर कृत कार्यवाही का विवरण गृह विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोक्त ।

Signed by
Sanjeev Gupta
Date: 30-08-2024 12:

भवदीय,
(डॉ0 संजीव गुप्ता)
सचिव ।

USC
JS(RP)/SO-3
02.9.24
(श्याम प्रकाश नारायण)
विशेष सचिव,
राज्य कर विभाग,
उ0प्र0 शासन।

SO-3
03/09/2024
(रघुवीर प्रसाद)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन,
राज्य कर विभाग।

03.09.24

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

संख्या:- 870 /छ:-पु0-15-2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-15 लखनऊ दिनांक 22 अगस्त, 2024

विषय:- विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद-14, समानता के अधिकार और भेदभाव मुक्त वातावरण की गारंटी देता है। वहीं अनुच्छेद-21, प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश शासन, प्रत्येक महिला को विधिक समानता तथा उनकी गरिमा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है। महिला सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन हेतु पूर्व से ही "मिशन शक्ति" अभियान प्रदेश में संचालित है। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध तथा अपराधियों के प्रति "ZERO TOLERANCE" नीति के दृष्टिगत विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य संस्थानों में महिला उत्पीड़न व हिंसा रोकने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं दिशा निर्देश निर्गत किये जाने आवश्यक हैं।

2- उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा रात्रि में आने-जाने के मार्गों को सुरक्षित करना, प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, मज़बूत सुरक्षा उपाय, नियमित सुरक्षा ऑडिट, विधिक जानकारी तथा महिला हेल्पलाइन और सहायता सेवाओं के ज्ञान के साथ-साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

3-कार्यस्थल पर सुरक्षा

सम्प्रति राज्य में अनेकों ऐसी विधियाँ प्रभावी हैं जो कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उनकी गरिमा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं।

(i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यौन शोषण में निम्नलिखित अवांछनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष या संकेतिक) सम्मिलित होंगे।

a. शारीरिक सम्पर्क और अग्रसरण; या
b. यौन सम्पर्क के लिए माँग या अनुरोध करना; या
c. लैंगिक रूप से भद्दी टिप्पणी करना; या

Scanned with OKEN Scanner

d. अश्लील साहित्य दिखाना; या

e. कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक लैंगिक प्रकृति का आचरण।

यह अधिनियम उत्पीड़ित महिला श्रमिकों को विभिन्न अधिकारों एवं सुरक्षा के साथ-साथ शिकायतों के समाधान के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना को भी अनिवार्य बनाता है।

(ii) फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948

धारा 87, महिलाओं को खतरनाक संचालन या निर्दिष्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं में शामिल होने से रोकती है, जो महिलाओं की चिकित्सा और शारीरिक दक्षताओं और उनके जीवन के मूल्य पर बल देती है।

(iii) उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम 2013

चिकित्सा कर्मियों के साथ हिंसा को दण्डनीय अपराध तथा अस्पताल की क्षतिग्रस्त संपत्ति और नुकसान की खरीद मूल्य का दोगुना मुआवजा संबंधी प्राविधान हैं।

(iv) महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020

स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के विरूद्ध हिंसा के लिए विभिन्न दण्ड प्राविधान करता है।

(v) गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

कुछ शर्तों के तहत गर्भधारण को समाप्त करने का प्रावधान के साथ-साथ गर्भपात करने वाले डॉक्टरों को विधिक सुरक्षा भी प्रदान करता है।

4- <u>रात्रि ड्यूटी तथा आवागमन के मार्गों को सुरक्षित करना</u>

(i) रात्रि ड्यूटी का समय नियत करना

यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला कार्मिकों को निर्धारित समयावधि से अधिक काम न करना पड़े।

(ii) सुरक्षित परिवहन विकल्प

नियोक्ताओं को विश्वसनीय और निगरानी वाली परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली कैब या शटल सेवाएँ, ताकि महिला कर्मचारी बिना किसी डर के काम पर आ-जा सकें। केवल स्थापित एजेंसियों से नियमित आधार पर कैब/परिवहन वाहन किराए पर लेना इत्यादि।

(iii) सुरक्षा एस्कोर्ट

रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक आकस्मिकता की स्थिति में महिलाओं को माँग के अनुरूप यूपी 112 PRV द्वारा सुरक्षित एस्कोर्ट कर गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाने हेतु पूर्व से ही कार्य योजना प्रचलित है। इसका वृहद प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

(iv) सुरक्षित Drop-off-Point

परिवहन निगम की बसों तथा प्राइवेट टैक्सी वाहनों हेतु ऐसे Drop-off-Point चिन्हित किये जायें जहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा सीसीटीवी कैमरे लगे हों।

(v) स्थानीय पुलिस व्यवस्था

a. रात्रि में महिलाओं के आवागमन से संबंधित समस्त कार्यस्थल यथा कालसेण्टर, स्वास्थ्य संस्थानों, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, होटल/ रेस्टोरेंट, रेलवे / बस स्टेशन

Scanned with OKEN Scanner

आदि की समस्त जनपदों में थानावार सूची बना ली जाए। इनमें आने जाने वाले महिला कर्मियों के संबंध में यथोचित विवरण संकलित कर रात्रि हॉटस्पॉट्स चिन्हित कर लिए जाये।

b. उक्त चिन्हित रात्रि हॉटस्पॉट्स पर UP 112 के पीआरवी वाहनों तथा पुलिस के अन्य पैट्रोलिंग वाहनों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में नियमित प्रभावी गश्त / पेट्रोलिंग / चेकिंग करायी जाये।

c. ऐसे समस्त कालसेंटर, ऑफिस व अन्य स्थल पर नियुक्त प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की जनपद / कमिश्नरेट के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नियमित ब्रीफिंग की जाये। महिला सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न बिंदुओं पर उनको जागरूक व सतर्क किया जाये।

d. कार्यस्थलों के स्वामी, मुख्य प्रबंधकों, कार्यकारी प्रमुखों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोष्ठी के माध्यम से प्रभावी संवाद स्थापित करते हुए उनको जागरूक व सतर्क कर दिया जाये।

5- <u>कार्यस्थल पर सुदृढ़ सुरक्षा उपाय</u>

(i) नियोक्ता को कार्यस्थल परिसर की निगरानी और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षा कर्मियों सहित मज़बूत सुरक्षा उपायों में निवेश करना चाहिए।

(ii) संस्थान में कार्यरत समस्त कार्मिकों के पहचान-पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी, पता प्रमाण, फिंगरप्रिंट इत्यादि) एकत्र किए जाने चाहिए।

(iii) आपातकालीन संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए और आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए चौबीसों घंटे एक नामित अधिकारी उपलब्ध होना चाहिए।

(iv) महिलाओं के लिए उनके कार्यस्थल के पास अलग और सुरक्षित अल्प विश्राम तथा प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

(v) आगंतुकों की सख्त निगरानी- सभी आगंतुकों का विवरण जैसे नाम, संगठन, पता, यात्रा का उद्देश्य आने और जाने का समय रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

6- आत्मरक्षा प्रशिक्षण

संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को उनकी सुरक्षा और संरक्षा पर जागरूकता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। आपातकालीन संपर्क, पुलिस हेल्पलाइन, यात्रा करते समय क्या करें और क्या न करें, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव या लैंगिक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण और शिकायत प्रक्रिया पर विधिक प्राविधानों के बारे में जागरूकता दी जाये।

7- आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल

तत्काल रिपोर्टिंग और घटना प्रतिक्रिया सहित स्पष्ट और कुशल आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित किया जाये। प्रतिशोध के डर के बिना उत्पीड़न, हिंसा या अन्य सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्टिंग के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित किया जाये।

8- नियमित सुरक्षा ऑडिट

संभावित भयबोध तथा सुरक्षा कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए कार्यस्थल का नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाये। मौजूदा सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता के बारे में प्रतिक्रिया और अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

9- महिला हेल्पलाइन और सहायता सेवाएँ

आपात स्थिति में महिलाओं के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों और सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाये। यूपी 112, वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, सेफ सिटी एप, स्मार्ट सिटी SOS App, सीएम हेल्पलाइन तथा अन्य सहायता सेवाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

10- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Deepak Kumar
Date: 21-08-2024 18:38:35

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि विभाग स्तर पर कार्यकारी आदेश/निर्देश निर्गत करते हुए अधीनस्थ फील्ड कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु ब्रीफिंग तथा नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Sanjeev Gupta (डॉ0 संजीव गुप्ता)
Date: 21-08-2024 18:42:25 सचिव।

Scanned with OKEN Scanner